राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

दिनांक- 02/04/2024

क्रमांक/रीडर/2024/14/2024

निमित्त-

तहसीलदार मांडलगढ़

विषयः— प्र.सं. 14 / 2024 अनवान जगदीश पुत्र रतना धाकड़ निवासी काछोला बनाम नाथु पुत्र हजारी रेगर निवासी काछोला, लादूलाल पुत्र बंशीलाल छीपा निवासी काछोला, सत्यनारायण पुत्र बंशीलाल छीपा निवासी काछोला, युद्धवीर सिंह पुत्र बनवीर सिंह राजपूत निवासी काछोला, कर्णवीर सिंह पुत्र बनवीर सिंह राजपूत निवासी काछोला, दुर्गालाल पुत्र कजोड़ीमल ढोली निवासी काछोला, तहसीलदार ~~काछोला~~ - की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम काछोला प.ह. काछोला आराजी सं. 3210/2438 कुल किता 01 रकबा 0.6475 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक काछोला को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे । **पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार ~~काछोला~~ - को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है** । पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

जगदीश पुत्र रतना धाकड़ निवासी काछोला

बनाम

नाथु पुत्र हजारी रेगर निवासी काछोला वगैरह

मुकदमा नंबर 14 /2024

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
02-04-24	प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम काछोला प.ह. काछोला आराजी सं. 3210/2438 कुल किता 01 रकबा 0.6475 हेक्टेयर भूमि स्थित है । अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ौसी है । अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें । प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है । मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी । पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है । प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है । अतः प्रार्थना पत्र 111 / 128 रा.ले.रे. एक्ट स्वीकार जाता है ग्राम काछोला प.ह. काछोला आराजी सं. 3210/2438 कुल किता 01 रकबा 0.6475 हेक्टेयर भूमि स्थित भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक काछोला को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है । कमीश्नर फीस 500 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे । **पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया** जावें । पालना हेतु तहसीलदार काछोला को लिखा जावें । **तहसीलदार काछोला को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है** । पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें । आदेश आज दिनांक 02/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (शाहपुरा)	